



सत्यमेव जयते

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(भ्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



A/013

ए-45011/22/2025-एचआरएम-III/152

दिनांक: 10.04.2026

कार्यालय आदेश

विषय: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय के सूचना सेवा प्रभाग में मणिवसगन, प्र.अ/ले.अ, क्षे.का. तांबरम की तैनाती के संबंध में।

प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए श्री मणिवसगन, प्र.अ/ले.अ, क्षे.का. तांबरम को 03 महीने की अवधि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय के सूचना सेवा प्रभाग, में तैनात किया गया है।

2. श्री मणिवसगन, प्र.अ/ले.अ, को इस कार्यालय आदेश की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर अपर केंद्रीय भविष्य आयुक्त (मुख्यालय) (सूचना सेवा प्रभाग) को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है। वह नियमों के अनुसार यात्रा भता/दैनिक भता के पात्र होंगे।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)

(मनीष मणि)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- I (मानव संसाधन प्रबंधन)

सेवा में,

श्री. मणिवसगन, प्र.अ/ले.अ,

क्षे.का. तांबरम

(संबंधित अ.के.भ.नि.आ.(मुख्या.), आंचलिक कार्यालय, चेन्नई)

प्रतिलिपि: -

1. कें.भ.नि.आयुक्त के निजी सचिव।
2. वि.सला.एवं.मु.ले.अ/मु.सत.अधि/सभी अपर.कें.भ.नि.आ.(मुख्यालय)(मुख्यालय एवं अंचल)/निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव।
3. सभी अपर कें.भ.नि.आ।
4. अपर कें.भ.नि.आ (प्र.से.प्र) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5. सभी उप निदेशक (सतर्कता) / आंचलिक लेखा परीक्षा दल।
6. सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान/ उप-आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान।
7. क्षे.भ.नि.आयुक्त (एनडीसी) - वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने हेतु।
8. महासचिव, क.भ.नि.सं अधिकारी संघ,
9. महासचिव, एआईईपीएफ स्टाफ संघ
10. महासचिव, एआईईपीएफ कर्मचारी संघ
11. महासचिव, एआईईपीएफ एससी/एसटी संघ
12. गार्ड फाइल

(मनीष मणि)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- I (मानव संसाधन प्रबंधन)

3. सभी अपर कै.भ.नि.आ।
4. अपर कै.भ.नि.आ (प्र.से.प्र) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
5. सभी उप निदेशक (सतर्कता) / आंचलिक लेखा परीक्षा दल।
6. सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान/ उप-आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान ।
7. क्षे.भ.नि.आयुक्त (एनडीसी) - वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने हेतु।
8. महासचिव, क.भ.नि.सं अधिकारी संघ,
9. महासचिव, एआईईपीएफ स्टाफ संघ
10. महासचिव, एआईईपीएफ कर्मचारी संघ
11. महासचिव, एआईईपीएफ एससी/एसटी संघ
12. गार्ड फाइल



(मनीष मणि)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- । (मानव संसाधन प्रबंधन)



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाँ नगर, नई दिल्ली-110023
Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



ए-45011/22/2025-एचआरएम-III/153

दिनांक: 10.04.2026


कार्यालय आदेश

विषय: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय के सूचना सेवा प्रभाग में अधिकारियों की तैनाती के संबंध में।

तकनीकी रूप से योग्य और कुशल अधिकारियों की प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए, प्र.अ/ले.अ, संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों का चयन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय के आईएसडी/एनडीसी/सीएआईयू डिवीजन, में 1 वर्ष या अगले आदेशों तक के लिए तैनात किया गया है।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम एवं पद	वर्तमान तैनाती
1.	लक्ष्य	क्षे.का. मल्लेश्वरम
2.	कन्हैया सिंह	क्षे.का., बेंगलोर सेंट्रल
3.	प्रशांत पांडे	क्षे.का., कोरमंगला (पुनः आवंटन पर क्षे.का. मुंबई में तैनात)
4.	रीता कटारिया	क्षे.का., त्रिची
5.	अंकित पुरोहित	क्षे.का., बेंगलुरु
6.	मोहम्मद रईस	क्षे.का., अमृतसर
7.	सक्षम कुमार	क्षे.का. कोच्चि
8.	कुलदीप सिंह	क्षे.का. - पुणे कैंट
9.	दीप्ति चौधरी	क्षे.का. भरुच
10.	दीपांशु द्विवेदी	क्षे.का. विले पार्ले/आरओ पवई, मुंबई

2. सभी अधिकारियों को इस कार्यालय आदेश की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर अपर केंद्रीय भविष्य आयुक्त (मुख्यालय) (सूचना सेवा प्रभाग) को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है। वह नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता के पात्र होंगे।
(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)


(मनीष मणि)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- I (मानव संसाधन प्रबंधन)

सेवा में,

सभी संबंधित अधिकारीगण

(संबंधित अ.के.भ.नि.आ.(मुख्या.)/अ.के.भ.नि.आ.आंचलिक कार्यालय)

प्रतिलिपि: -

- कै.भ.नि.आयुक्त के निजी सचिव।
- वि.सला.एवं.मु.ले.अ/मु.सत.अधि/सभी अपर.कै.भ.नि.आ.(मुख्यालय)(मुख्यालय एवं अंचल)/निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव।